संख्या:396710 /नौ-4-2023-**Computer No**-1745384

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक27 सितम्बर, 2023

विषयः प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत तथा उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसके साथ ही साथ नगरीय जनसंख्या को बेहतर सुविधाएं तथा विकास के अवसर प्रदान करने की चुनौती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश की 22.30 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवासित है। वर्तमान प्रक्षेपण के अनुसार उत्तर प्रदेश की 6.5 करोड़ जनसंख्या (लगभग 27 प्रतिशत) नगरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत छः वर्षो में 03 नगर निगम सहित 117 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है, वहीं 124 निकायों की सीमा में वृद्धि की गयी है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद तथा 545 नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश में स्थित है।

2. उक्त वृद्धि के पश्चात समस्त नगरीय निकायों में समान अवसर तथा आर्थिक वृद्धि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में जहाँ एक लाख से अधिक जनसंख्या के नगरीय निकायों की भूमि में भागीदारी 37 प्रतिशत है वहीं इस पर 67 प्रतिशत शहरी जनसंख्या निवासित है। दूसरी ओर एक लाख से कम जनसंख्या की नगरीय निकायों की भूमि में भागीदारी 63 प्रतिशत है पर जनसंख्या में भागीदारी मात्र 33 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में मात्र 24 जिले नगरीय जनसंख्या के प्रदेश के औसत से ऊपर है। इससे स्पष्ट है कि एक लाख से कम जनसंख्या के शहरों में भूमि की उपलब्धता है तथा विकास के कम अवसर होने के कारण बड़े शहरों की ओर पलायन (Migration) की प्रवृत्ति है।

3. अतः ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसमें एक लाख की जनसंख्या से छोटे नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, आजीविका के अवसरों में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर इन्हे विकास की मुख्य धारा में लाया जाय और पलायन से रोका जाय। अतः 20,000 से एक लाख जनसंख्या के नगर निकायों के संसाधनों के आदर्शरूप में प्रयोग, आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि कर पलायन को रोकने तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर बनाने में बड़ा योगदान देने हेतु तैयार करने के लिए सबसे पिछड़ी 100 नगरीय निकायों हेतु "आकांक्षी नगर योजना" प्रारम्भ की जा रही है।

4. अतः उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी:

4.1 संकल्पना (Vision) आकांक्षी नगर योजना 20,000 से 1,00,000 की जनसंख्या के सर्वाधिक पिछडे 100 नगरीय निकायों के सम्पूर्ण वहनयोग्य विकास (Holistic Sustainable Development) को

प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नगर विकास विभाग की सेवाओं की उपलब्धता तथा नागरिकों तक पहुँच, आर्थिक अवसर और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए सुनिश्चित करेगी।

4.2 योजना के प्रमुख उददेश्य :

(क) इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में चल रही राज्य तथा केन्द्र की विभिन्न योजनाओं को आकांक्षी नगर निकायों में नियोजित शहरी विकास के लिए अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्त करना ।

(ख) चुने गये शहरों को पूर्ण किये जाने योग्य लक्ष्य (अचीवेबल टारगेट) की प्राप्ति हेतु उनको सहयोग प्रदान तथा दिशा-निर्देश प्रदान करना।

(ग) शहरों के प्रदर्शन का चुने गये मानकों पर मूल्यांकन और दिशा-निर्देशन।

(घ) शहरों को "ईज ऑफ लिविंग" तथा "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" के मानकों पर लाने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों को तीव्र गति प्रदान करना।

(ङ) क्षेत्रीय असमानता को दूर कर शहरों को पिछड़े के स्थान पर आकांक्षी बनाना।

(च) आधुनिक डिजिटल तकनीकों के अनुप्रयोग एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराना, चयनित सेक्टर में उद्यमशीलता, नवाचार तथा दक्षता का विकास करना।

(छ) योजनान्तर्गत स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से आंकड़ों का संकलन एवं उनका अनुप्रयोग करते हुए अनुश्रवण, वित्तीय भौतिक प्रगति, गैप ऐनालिसिस एवं गुणवत्ता सुधार करना।

(ज) मुख्यमंत्री फेलोज के माध्यम से रणनीति तैयार करना, आंकड़ों का संकलन, राज्य सरकार के साथ समन्वय, अनुश्रवण एवं अभिलेखों का रख-रखाव।

(झ) केन्द्र तथा राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स और उनका लाभ प्रदान करना।

(ञ) एस0 डी0जी0 गोल्स की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना।

4.3 **रणनीति**: आकांक्षी नगर योजना की मुख्य रणनीति 3C पर आधारित होगी :

(i) **कनवर्जेन्स (Covergence)**-केन्द्र पुरोनिधानित, राज्य सेक्टर की योजनाओं तथा स्थानीय स्तर पर संचालित योजनाओं एवं सी0एस0आर0 फण्ड के कनवर्जेन्स के माध्यम से विकास करना।

(ii) **कोलैबोरेशन (Collaboration)**

विभिन्न हितधारकों, संगठनों, विशेषज्ञों एवं जनसामान्य के मध्य सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना तथा सी0एस0आर0 के माध्यम से प्रदेश के शहरी विकास में अवसरों का सृजन करना।

(iii) **कम्प्टीशन (Competition)** चयनित नगरीय निकायों के मध्य प्रतिस्पर्धा जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार सम्भव हो सकेगा।

4.4 **चयनित नगर निकाय** : प्रथम चरण में चयनित 100 नगर निकायों की सूची संलग्नक-1 पर है।

4.5 चयन के उपरान्त पर्यवेक्षण एवं निगरानी : उपरोक्त 100 आकांक्षी नगरीय स्थानीय निकायों का 05 प्रमुख क्षेत्रों के 32 पैरामीटर्स में प्रदर्शन के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से मानीटरिंग की जायेगी, जिनका विवरण संलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

4.6 योजना हेतु संगठनात्मक संरचनाः

मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा योजना का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन समय-समय पर किया जायेगा।

(अ) राज्य स्तर पर

- शासी निकायः मुख्य सचिव	अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिच, नगर विकास	सदस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा -विभाग, वित्त विभाग, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग	सदस्य
- विशेष आंमत्री	अध्यक्ष के निर्देशानुसार।

(ब) निकाय स्तर परः

-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
-अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय	सदस्य सचिव
-सम्वंधित निकायों के अधिशासी अधिकारीगण	सदस्य
राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में उल्लिखित विभागों के जिलास्तरीय -अधिकारीगण	सदस्य
- विशेष आंमत्री	अध्यक्ष के निर्देशानुसार।

उक्त समिति की बैठकें प्रतिमाह अवश्य आयोजित की जायेगी।

4.7 मुख्यमंत्री शहरी फेलो योजना (CM Fellowship)

आकांक्षी विकास खण्ड योजना में मुख्यमंत्री फेलोज की तैनाती की गयी है। उसी आधार पर इस योजना में भी सभी चयनित 100 आकांक्षी शहरी निकायों में मुख्यमंत्री शहरी फेलो चयनित किए जाएंगे, जो जिलाधिकारी व संबंधित अधिशासी अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करते हुए योजना का सर्वेक्षण, आंकड़ों का संकलन, सत्यापन, ऑनलाइन डेटा फीडिंग, परियोजनाओं के बनाने, राज्य सरकार से समन्वय, अनुश्रवण तथा अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य करेंगे। साथ ही साथ योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुँचाने में सुझाव भी

प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सीएम फेलो को एक टेबलेट दिया जायेगा। सीएम फेलो का चयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। उन्हे आकांक्षी विकास खण्ड की भॉति ही मानदेय दिया जायेगा।

4.8 फण्डिंग की व्यवस्था

योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में रू-100.00 करोड़ की व्यवस्था उपलब्ध है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें मा0 सांसद/विधायक निधि, राज्य सेक्टर की योजनायें, सी0एस0आर0 फण्ड, अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहयोग का उपयोग भी किया जायेगा। परियोजना का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की वायबिलिटी गैप फण्डिंग में तथा अनुदान प्रोत्साहन एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत परियोजना अंश में से पीएमयू की स्थापना, निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर पर डैशबोर्ड, आईईसी गतिविधियों तथा ए0एण्ड0ओ0ई0 मद के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित की जायेगी, जोकि किसी वित्तीय वर्ष में परियोजना में जारी वित्तीय स्वीकृतियों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सीएम फैलोज के मानदेयं, प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर वास्तविक व्यय के अनुसार, योजना के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों के अधिकतम 4 प्रतिशत सीमान्तर्गत धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। उक्त धनराशि को आहरित कर राष्ट्रीकृत बैंक में ही रखा जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक खाते में अवशेष धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कर दी जायेगी। बैंक अकाउन्ट का लेखा-जोखा रखना तथा इसका आडिट कराना निकाय/विभाग का उत्तरदायित्व होगा। इस सम्बंध में नगर विकास विभाग द्वारा गाइड लाइन जारी की जायेगी।

4.9 आकांक्षी निकायों में कार्मिकों की तैनाती

समस्त आकांक्षी 100 शहरी निकायों में सभी रिक्त पदों को सभी विभागों द्वारा भरा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक बार तैनाती के उपरान्त इन्हें न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाए तथा स्थानान्तरण की स्थिति में इनको कार्यमुक्त तभी किया जाए जब इनके स्थान पर नए कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी शासन स्तर पर सम्बंधित विभागों से समन्वय कर इसे सुनिश्चित करायेगें।

4.10 नियोजन विभाग द्वारा सभी जनपदों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में समय-समय पर नामित किया जाता है। उक्त नोडल अधिकारी जनपदों में भ्रमण के समय आकांक्षी नगर निकायों को 32 पैरामीटर्स पर समीक्षा करना सुनिश्चित करेगें।

4.11 पुरस्कारों की व्यवस्था

आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन आधारित धनराशि की व्यवस्था की जाएगीः-

(1) 03 अग्रणी शहरों को प्रति वर्ष प्रथम पुरस्कार के रूप में 02 करोड़, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।

(2) अलग-अलग सेक्टर्स में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को वर्ष में एक बार 50-50 लाख की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

(3) उक्त पुरस्कार राशि की परियोजनाएं सम्बंधित निकाय के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी के संयुक्त सुझाव पर नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(4) सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 फेलोज को प्रमाण पत्र एवं निकायों की पीएमयू तथा आउटसोर्सिंग में लिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों के अधिकारियों तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोजर विजिट का अवसर प्रदान किया जाएगा।

4.12 (क) चयनित 100 नगर निकायों में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी तथा उसके उपरान्त यह नगर निकाय आत्मनिर्भर रूप से कार्य करेगें परन्तु इनकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी।

(ख): 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगर निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगर निकायों का चयन किया जायेगा तथा वहाँ यह योजना 01 अप्रैल 2026 से अग्रिम 02 वित्तीय वर्षो तक लागू रहेगी और इसके उपरान्त ये नगर निकाय आत्मनिर्भर रूप से कार्य करेगें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 26-09-2023 18:14:35
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/कार्मिक विभाग/नियोजन विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/महिला कल्याण विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, (अमृत/एस0बी0एम0/स्मार्ट सिटी), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

संलग्नक-1

100 नागर निकायों की सूची (जनसंख्या-20,000 से 1,00,000)

क्र0सं0	नागर निकायों का नाम	जनपद	मण्डल	जनसंख्या	रैंक
1	नगर पंचायत, बेलसर	गोण्डा	देवीपाटन	28198	762
2	नगर पंचायत, उरूवा बाजार	गोरखपुर	गोरखपुर	21844	761
3	नगर पंचायत, भलुअनी बाजार	देवरिया	गोरखपुर	23563	760
4	नगर पंचायत, गड़वारा बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	22729	759
5	नगर पंचायत, खखरेरू	फहेतपुर	प्रयागराज	21675	758
6	नगर पंचायत, माँ कामाख्या	अयोध्या	अयोध्या	22010	757
7	नगर पंचायत, धर्मसिंहवा	संत कबीर नगर	बस्ती	24501	756
8	नगर पंचायत, डेरवा बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	22444	755
9	नगर पंचायत, कारीकान धाता	फतेहपुर	प्रयागराज	25432	754
10	नगर पंचायत, कटरा गुलाब सिंह बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	22428	753
11	नगर पंचायत, हीरागंज बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	20426	752
12	नगर पंचायत, मानधाता बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	20344	751
13	नगर पंचायत, धानेपुर	गोण्डा	देवीपाटन	23640	750
14	नगर पंचायत, भीरा	लखीमपुर खीरी	लखनऊ	22710	749
15	नगर पंचायत, फाजिलनगर	कुशीनगर	गोरखपुर	25126	747
16	नगर पंचायत, नगर बाजार	बस्ती	बस्ती	20000	746
17	नगर पंचायत, गणेशपुर	बस्ती	बस्ती	20839	745
18	नगर पंचायत, घघसरा बाजार	गोरखपुर	गोरखपुर	24304	744
19	नगर पंचायत, मिहीपुरवा	बहराइच	देवीपाटन	23682	743
20	नगर पंचायत, रूधौली बाजार	बस्ती	बस्ती	20165	742
21	नगर पंचायत, हैसर बाजार धनघटा	संत कबीर नगर	बस्ती	27892	741
22	नगर पंचायत, मुण्डेरवा	बस्ती	बस्ती	20338	740
23	नगर पंचायत, बैतालपुर	देवरिया	गोरखपुर	20509	738
24	नगर पंचायत, मार्टिनगंज	आजमगढ	आजमगढ	29768	737

25	नगर पंचायत, तरबगंज	गोण्डा	देवीपाटन	21261	736
26	नगर पंचायत, रूपईडिहा	बहराइच	देवीपाटन	20181	735
27	नगर पंचायत, रनिया	कानपुर देहात	कानपुर	29356	734
28	नगर पंचायत, मिथौली	कुशीनगर	गोरखपुर	25634	733
29	नगर पंचायत, कप्तानगंज	बस्ती	बस्ती	20575	732
30	नगर पंचायत, हेतिमपुर	देवरिया	गोरखपुर	20787	731
31	नगर पंचायत, पनियरा	महराजगंज	गोरखपुर	20052	730
32	नगर पंचायत, रतसड़कलां	बलिया	आजमगढ	20207	729
33	नगर पंचायत, तरकुलवा	देवरिया	गोरखपुर	20379	728
34	नगर पंचायत, अचलगंज	उन्नाव	लखनऊ	20538	727
35	नगर पंचायत, पथरदेवा	देवरिया	गोरखपुर	21344	726
36	नगर पंचायत, शिवगढ	रायबरेली	लखनऊ	20980	725
37	नगर पंचायत, बढनी चाफा	सिद्धार्थनगर	बस्ती	29152	724
38	नगर पंचायत, पृथ्वीगंज बाजार	प्रतापगढ	प्रयागराज	22319	722
39	नगर पंचायत, मिरहची	एटा	अलीगढ	20002	717
40	नगर पंचायत, बृजमनगंज	महराजगंज	गोरखपुर	26511	716
41	नगर पंचायत, गैसड़ी	बलरामपुर	देवीपाटन	20081	715
42	नगर पंचायत, लम्भुआ	सुल्तानपुर	अयोध्या	22675	714
43	नगर पंचायत, मदनपुर	देवरिया	गोरखपुर	22787	713
44	नगर पंचायत, बाघनगर ऊर्फ बखिरा	संतकबीरनगर	बस्ती	40660	712
45	नगर पंचायत, खिरौनी (सुचित्तागंज)	अयोध्या	अयोध्या	21962	711
46	नगर पंचायत, मडरॉक	अलीगढ	अलीगढ	22322	710
47	नगर पंचायत, भरगैन	कासगंज	अलीगढ	21891	709
48	नगर पंचायत, दढ़ियाल	रामपुर	मुरादाबाद	23650	708
49	नगर पंचायत, बभनान	बस्ती	बस्ती	22344	707
50	नगर पंचायत, मोहनलालगंज	लखनऊ	लखनऊ	32386	705
51	नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर	अम्बेडकरनगर	अयोध्या	20573	704
52	नगर पंचायत, बरौली	अलीगढ़	अलीगढ	21174	701
53	नगर पंचायत, नवाबगंज	फर्रूखाबाद	कानपुर	25038	700
54	नगर पंचायत, चरवा	कौशाम्बी	प्रयागराज	22701	699

55	नगर पंचायत, कन्चैसी	कानपुर देहात	कानपुर	20513	698
56	नगर पंचायत, निगोही	शाहजहाँपुर	बरेली	20655	697
57	नगर पंचायत, पुरब पश्चिम शरीरा	कौशाम्बी	प्रयागराज	23271	696
58	नगर पंचायत, कुर्थी-जाफरपुर	मऊ	आजमगढ	20584	695
59	नगर पंचायत, सफीपुर	उन्नाव	लखनऊ	25688	693
60	नगर पंचायत, बनकटी	बस्ती	बस्ती	20533	692
61	नगर पंचायत, गौराबादशाहपुर	जौनपुर	वाराणसी	25384	691
62	नगर पंचायत, जवां सिकन्दरपुर	अलीगढ	अलीगढ	23547	690
63	नगर पंचायत, पयागपुर	बहराइच	देवीपाटन	20821	689
64	नगर पंचायत, दुधही	कुशीनगर	गोरखपुर	20248	688
65	नगर पंचायत, बंथरा	लखनऊ	लखनऊ	21704	687
66	नगर पंचायत, लालगंज	प्रतापगढ	प्रयागराज	34865	686
67	नगर पंचायत, छितौनी	कुशीनगर	गोरखपुर	22615	684
68	नगर पंचायत, ढकवा	प्रतापगढ	प्रयागराज	21353	683
69	नगर पंचायत, भारत भारी	सिद्धार्थनगर	बस्ती	24778	682
70	नगर पंचायत, रामगंज	प्रतापगढ	प्रयागराज	21674	681
71	नगर पंचायत, खिमसेपुर	फर्रूखाबाद	कानपुर	27338	680
72	नगर पंचायत, बण्डा	शाहजहापुर	बरेली	20689	678
73	नगर पंचायत, रेनूकूट	सोनभद्र	मीरजापुर	43297	677
74	नगर पंचायत, तमकुहीराज	कुशीनगर	गोरखपुर	21256	676
75	नगर पंचायत, इगलास	अलीगढ	अलीगढ	20428	675
76	नगर पंचायत, नगरा	बलिया	आजमगढ	20520	674
77	नगर पंचायत, असोथर	फतेहपुर	प्रयागराज	22296	673
78	नगर पंचायत, गायघाट	बस्ती	बस्ती	24426	672
79	नगर पंचायत, गभाना	अलीगढ	अलीगढ	20188	671
80	नगर पंचायत, हण्डिया	प्रयागराज	प्रयागराज	21798	670
81	नगर पंचायत, उसकाबाजार	सिद्धार्थनगर	बस्ती	24444	668
82	नगर पंचायत, नरैनी	बांदा	चित्रकूट	21068	667
83	नगर पंचायत, भानपुर	बस्ती	बस्ती	27210	666
84	नगर पंचायत, कैसरगंज	बहराइच	देवीपाटन	26101	664

85	नगर पंचायत, जहानगंज	आजमगढ	आजमगढ	25737	663
86	नगर पंचायत, अमिला	मऊ	आजमगढ	20884	662
87	नगर पंचायत, निघासन	लखीमपुर खीरी	लखनऊ	24440	661
88	नगर पंचायत, शाहबाद	रामपुर	मुरादाबाद	38276	659
89	नगर पंचायत, सैफनी	रामपुर	मुरादाबाद	21115	658
90	नगर पंचायत, आनन्दनगर	महराजगंज	गोरखपुर	67693	657
91	नगर पालिका परिषद, स्याना	बुलन्दशहर	मेरठ	44415	656
92	नगर पंचायत, महमूदपुरमाफी	मुरादाबाद	मुरादाबाद	20853	654
93	नगर पंचायत, अनपरा	सोनभद्र	मीरजापुर	71971	652
94	नगर पंचायत, चैक	महराजगंज	गोरखपुर	20414	651
95	नगर पंचायत, शोहरतगढ	सिद्धार्थनगर	बस्ती	24116	649
96	नगर पंचायत, रामसनेहीघाट	बाराबंकी	अयोध्या	21824	648
97	नगर पंचायत, रामपुर	जौनपुर	वाराणसी	20024	647
98	नगर पंचायत, पुरदिलनगर	हाथरस	अलीगढ	21885	645
99	नगर पंचायत, बेल्थरा रोड	बलिया	आजमगढ	20404	642
100	नगर पंचायत, सुवंशा बाजार	प्रतापगढ़	प्रयागराज	20749	635

संलग्नक-2

चयन के उपरान्त पर्यवेक्षण एवं निगरानी

100 आंकाक्षी नगरीय स्थानीय निकायों का चयन के उपरान्त निम्नांकित 5 प्रमुख क्षेत्रों के विभिन्न 32 पैरामीटर्स के प्रदर्शन के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनीटरिंग की जायेगी:

सेक्टर	सब–सेक्टर	पैरामीटर्स
1. शहरी आधारभूत ढ़ाचा (Urban Physical Infrastructure)	1. आवास तथा नगरीय सुविधाएं (Housing and Civic Amenities)	1. आवास सम्बंधी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी आधारभूतः प्रति 50000 की जनसंख्या पर लाभार्थियों की गणना। डेल्टा– (हस्तांतरित घरों की संख्या/स्वीकृत घरों की संख्या)
		2. नागरिक सुविधाओं तक पहुँच प्रशासनिक कार्यालय, सामुदायिक केन्द्र, अन्त्येष्टि स्थलों की उपलब्धता।
	2. भौतिक आधारभूत संरचना (Physical Infrastructure)	3. पाइप के माध्यम से जलापूर्ति (पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति वाले मकानों का प्रतिशत) 4. तरल अपशिष्ट शोधन क्षमता। (एफएसटीपी या एसटीपी में शोधित कुल अपशिष्ट/मकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा कुल उत्पन्न वेस्ट की मात्रा) x 100 5. ठोस अपशिष्ट शोधन क्षमता। (कुल शोधित अपशिष्ट मात्रा/कुल जनित अपशिष्ट की मात्रा) x 100 6. वर्षा जल निकासी नेटवर्क का कवरेज (ढ़की हुई नालियों वाली सड़कों का प्रतिशत) 7. विद्युत आपूर्ति (प्रतिदिन औसत आपूर्ति–घंटों में)
	3. गतिशीलता (Urban Mobility)	8. स्ट्रीट लाइट से सुसज्जित सड़के (स्ट्रीट लाइट सहित सड़क की लम्बाई/सड़क की कुल लम्बाई) 9. पक्के मार्ग तक पहुँच (कच्चा मार्ग की लम्बाई/कुल निर्मित मार्ग की लम्बाई) x 100 10. स्वच्छ (हरित) ईधन वाले वाहनों की सड़क पर संख्या (कुल वाहनों के सापेक्ष सी0एन0जी0 एवं विद्युत वाहनों का प्रतिशत) 11. सार्वजनिक परिवहन या पैरा–ट्रांजिट सुविधा (प्रत्येक 10000 की जनसंख्या पर वाणिज्यिक यात्री वाहन बसों/आटो/टैक्सी की संख्या)

2.सामाजिक संरचना (Social Infrastructure)	4. शिक्षा (Education)	12 (ए) कक्षा 3 में गणित में प्रदर्शन 12.(बी) कक्षा 3 में भाषा में प्रदर्शन 13. (ए) कक्षा 5 में गणित में प्रदर्शन 13.(बी) कक्षा 5 में भाषा में प्रदर्शन 14.(ए) कक्षा 8 में गणित में प्रदर्शन 14. (बी) कक्षा 8 में भाषा में प्रदर्शन 15. (ए) पेयजल सुविधा की उपलब्धता वाले स्कूल (पेयजल सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत) 15.(बी) लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता वाले स्कूल (लड़कियों के लिए शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत) 15.(सी) माध्यमिक स्तर पर विद्युतीकृत स्कूल (विद्युतीकृत स्कूलों का प्रतिशत)
	5. स्वास्थ्य (Health)	16. सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु सुविधाएं (एनक्यूएएस / एनएबीएच / आईएसओ / एएचीआई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों (प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय) की संख्या / कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की संख्या) 17. अस्पताल में बेड की उपलब्धता (प्रति 1000 जनसंख्या पर आईसीयू बेड (सार्वजनिक एवं निजी) की संख्या) 18. स्वास्थ्य–विशेषज्ञों की उपलब्धता (सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टरों के रिक्त पदों की संख्या) 19. मातृ स्वास्थ्य बेसलाइन–मातृ मुत्यु अनुपात डेल्टा–(संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या / कुल प्रसव) x 100 20. बाल स्वास्थ्य बेसलाइन–शिशु मुत्यु दर डेल्टा– (शहर में 5 से कम मृत्यु दर) 21. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में (कमजोरी+नाटेपन+कमवजन+खून की कमी) का संचयी (क्यूम्यलटिव्) विवरण) (wasted+stunned+underwieght+anemic)
3. शहरी स्थानीय शासन। (Urban Local Governance)	6. शहरी स्थानीय निकाय	22. शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व (स्वयं कर एवं गैर कर राजस्व / प्राप्तियों सहित कुल राजस्व) x 100 23. प्रौद्योगिकी का उपयोग (डिजिटल रूप से निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या / निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं की संख्या) x 100 24. निकाय में स्टाफ की उपलब्धता

		(समूह 'घ' के अतिरिक्त निकाय में रिक्त कुल पदों की संख्या) 25. नियोजित शहरी विकास (वैध मास्टर प्लान–हॉ/नही)
4. आर्थिक अवसर (Economic opportunities)	7. व्यापार के अनुकूल वातावरण (Bussiness Friendly Environment)	26. स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सुविधाएं (स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदान किए गए लाईसेंस की संख्या/प्राप्त कुल आवेदन) x 100 27. व्यापार, व्यापार और वाणिज्य बेसलाइन–(प्रति 10,000 जनसंख्या पर शहर में कुल पंजीकृत दुकानें और प्रतिष्ठान) डेल्टाः– यूएलबी द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों को लाईसेंस जारी करने में लगने वाले न्यूनतम दिनों की संख्या
	8. सुरक्षा . (Safety and Security)	28. अपराध दर (प्रति 10,000 जनसंख्या पर हिंसायुक्त अपराधों की संख्या)
5. आपदा प्रतिरोधी ढॉचा। (disaster and climate resilience)	9. हरित क्षेत्र (Green area)	29. हरित क्षेत्र की उपलब्धता हरित क्षेत्र का प्रतिशत
	10. जलाशय (Water bodies)	30. बड़े जलाशलों का कायाकल्प (सुनियोजित (acceptable) स्थिति में जलाशयों की संख्या/1 एकड से अधिक आकार के जलाशयों की संख्या) X 100
	11. वायु गुणवत्ता एवं प्रदूषण (Air quality and pollution)	31.क. एयर क्वालिटी इन्डेक्स (अच्छे दिनों की संख्या/365निराश्रित दिनों की संख्या) X 100 31.ख. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग (सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के कारण प्रतिमाह उत्पन्न होने वाले कूड़े की मात्रा)
	12. स्वच्छ ऊर्जा (Clean energy)	32. पुर्न नवीकृत ऊर्जा का उपयोग (नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा/कुल ऊर्जा उपयोग) X 100

इस प्रकार कुल 5 प्रमुख क्षेत्रों में 12 उप स्तम्भों एवं 32 मुख्य परफार्मेन्स इंडिकेटर (केपीआई) होगें, जिन पर प्रदर्शन के आधार पर 100 आकांक्षी नगरीय स्थानीय निकायों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नियमित रूप से प्रगतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से किया जायेगा।